रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 740] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2017/भाद्र 7, 1939

No. 740] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2017/BHADRA 7, 1939

lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky;

vf/klwpuk

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2017

lk-dk-fu- 1118(v)-&केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जब इस अधिसूचना की प्रतियाँ, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. इन प्रारूप नियमों की बाबत, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 या ई–मेलः js-tpt@gov.in को भेजे जा सकेंगे।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

izk:Ik fu;e

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 125 के उप–नियम (7) जो कि भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिसूचना सा.का.नि. 291(अ) तारीख 24 अप्रैल, 2014 द्वारा अतःस्थापित किया गया, उप–नियम (8) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

''(9) अप्रैल, 2019 की पहली तारीख को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों द्वारा एआईएस–145–2017 में निर्धारित अतिरिक्त सुरक्षा विशिष्टियों और इसकी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।''

[फा. सं. आर.टी.–11028/16/2016–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

fVIi.kh मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड 3, उप–खंड (ii) में अधिसूचना सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. (अ), तारीख ––– द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2017

G.S.R. 1118(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Transport), (Email: js-tpt@gov.in), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (…………… Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 hereinafter referred to as the said rules, in rule 125, of the said rules, sub-rule (7) as so inserted vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 291(E), dated the 24th April, 2014 shall be renumbered as sub-rule (8) thereof and after sub-rule (8) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(9) Vehicles of category M1, manufactured on and after the 1st day of April, 2019 shall comply with the additional safety features and its requirements stipulated in AIS-145 -2017."

[F. No. RT-11028/16/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number _______ dated ___________.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.30 20:29:36 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.